



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भा रा रा प्रा/ नीति दिशानिदेश/ सड़क सुरक्षा/ 2025

NHAI / Policy Guidelines / Road Safety / 2025

नीति परिपत्र संख्या 12.40/2025 दिनांक 20 सितम्बर, 2025

Policy Circular No. 12.40/2025 dated 20th September, 2025

(ई ऑफिस फाइल सं. ई.11024/5/2021- रा.भा.विविध (साइनबोर्ड,नामपट्टआदिकाद्विभाषी/त्रिभाषिकरण पर निर्णय लिया गया)

{Decision taken on E-Office File No. ई.11024/5/2021- रा.भा.विविध (साइनबोर्ड,नामपट्टआदिकाद्विभाषी/त्रिभाषिकरण) (Comp. No. 173262)}

विषय: राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ओवरहेड और शोल्डर्स बोर्ड, टोल प्लाजा, किलोमीटर पत्थर आदि पर लगाए जाने वाले अग्रिम संकेत चिह्नों का प्रारूप निर्धारण।

Sub: Legend Formats of Advance Directions Signs of Overhead and Shoulder Mounted Boards, Toll Plazas, Kilometre Stones etc on National Highways and Expressways-Reg.

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14013/07/2010-ओ.बी. (नीति-1) दिनांक 7 अप्रैल, 2011 और डी.ओ संख्या 14013/01/2024-ओ.एल. (नीति) दिनांक 3 जून 2024 के माध्यम से 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से त्रिभाषी रूप में संकेत चिह्न लगाने संबंधी निदेश जारी किए गए थे। 'क' क्षेत्र में द्विभाषी और 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में त्रिभाषी संकेत चिह्न लगाने के लिए अध्यक्ष भाराराप्रा महोदय द्वारा दिनांक 24.02.2023, 05.12.2023, 09.10.2024 और 28.04.2025 को कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं।

Directions were issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs vide OM No. 1/14013/07/2010-O.B. (Policy-1) dated 07th April, 2011 & DO No. 14013/01/2024-OL (Policy) dated 03th June 2024 to make signage in trilingual form compulsorily in 'B' and 'C' Regions. The Office Orders dated 24.02.2023, 05.12.2023, 09.10.2024 and 28.04.2025 have been issued by the Chairman, NHAI for installation of bilingual signs in 'A' Region and Trilingual signs in 'B' and 'C' Regions.

2. 'क' क्षेत्र में द्विभाषी संकेत चिह्न हिंदी तथा अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे। 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में त्रिभाषी संकेत चिह्न निम्न विवरण के अनुसार तैयार किए जाएंगे:

The bilingual Signages in 'A' Region shall be in Hindi & English. Signages in 'B' and 'C' Regions shall be made as per following details:

'ख' क्षेत्र/ 'B' Region

1	पंजाब/Punjab	क्षेत्रीय भाषा/ Regional language -पंजाबी/Punjabi हिंदी/Hindi अंग्रेजी/English
2	गुजरात/Gujrat	क्षेत्रीय भाषा/ Regional language गुजराती/Gujrati हिंदी/Hindi अंग्रेजी/English
3	महाराष्ट्र/Maharashtra	क्षेत्रीय भाषा/ Regional language -मराठी/Marathi हिंदी/Hindi अंग्रेजी/English

Contd...2/-

[Handwritten signature]

‘ग’ क्षेत्र/ ‘C’ Region

1	जम्मू-कश्मीर/J&K	क्षेत्रीय भाषा Regional language - कश्मीरी/Kashmiri डोगरी/Dogri/उर्दू/Urdu हिंदी/Hindi अंग्रेजी/English
2	पश्चिम बंगाल/ West Bengal	क्षेत्रीय भाषा/ Regional language -बांग्ला/Bangla हिंदी/Hindi अंग्रेजी/English
3	असम/Assam	क्षेत्रीय भाषा /Regional language असमिया/Assamese हिंदी/Hindi अंग्रेजी/English
4	मेघालय/Meghalaya	क्षेत्रीय भाषा/ हिंदी/Hindi अंग्रेजी/English
5	उड़ीसा/Odisha	क्षेत्रीय भाषा/ Regional language -उड़िया/Odia हिंदी/Hindi अंग्रेजी/English
6	कर्नाटक/Karnataka	क्षेत्रीय भाषा/ Regional language कन्नड़/Kannada हिंदी/Hindi अंग्रेजी/English
7	केरल/Kerala	क्षेत्रीय भाषा/ Regional language मलयालम/Malayalam हिंदी/Hindi अंग्रेजी/English
8	तमिलनाडु/Tamilnadu	क्षेत्रीय भाषा/ Regional language -तमिल/Tamil हिंदी/Hindi अंग्रेजी/English
9	आंध्र प्रदेश व तेलंगाना/ Andhra Pradesh and Telangana	क्षेत्रीय भाषा/ Regional language - तेलुगू/Telugu हिंदी/Hindi अंग्रेजी/English

3. क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्वरूपों में भाषाओं का क्रम इस प्रकार होगा : 1. क्षेत्रीय भाषा, 2. हिंदी तथा 3. अंग्रेजी।

The order of languages shall be 1. Regional language, 2. Hindi and 3. English in both cases vertically & horizontally.

Contd...3/-



4. गैन्ट्री और शोल्डर्स पर लगाए जाने वाले त्रिभाषी अग्रिम संकेत चिह्नों के नमूने अनुलग्नक-I पर संलग्न किए गए हैं।
Trilingual Advance Direction Gantry and Shoulder mounted sign have been prepared and attached as Annexure-I.

5. ये संकेत केवल मार्गदर्शन के लिए तैयार किए गए हैं, आगे स्थान-विशिष्ट संकेत डिज़ाइन करने की आवश्यकता है। रिफ्लेक्टिव फ़ेशिया शीट का आकार प्रत्येक स्थान के नाम के अक्षरों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा।

The signs have been prepared for guidance only, further location specific signs are required to be designed. The reflective fascia sheet size will be decided based on Numbers of Alphabets of each Place Name.

6. एकल रिफ्लेक्टिव शीट फ़ेशिया या इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्टिव साइन फ़ेशिया के लिए नमूना डिज़ाइन विवरण दिए गए हैं। हवा के प्रभाव को कम करने और क्षति की स्थिति में आसान एवं किफायती प्रतिस्थापन के लिए इंडिपेंडेंट रिफ्लेक्टिव शीट साइन फ़ेशिया वाले संकेत चिह्न लगाए जाने का सुझाव दिया जाता है।

The sample design details have been given for single reflective sheet fascia or independent reflective sign fascia. It is suggested to provide signs with independent reflective sheet sign fascia to reduce wind impact and easy & economical replacement in case of damage.

7. गैन्ट्री माउंटेड संकेतकों पर 3 गंतव्य विवरण देना आवश्यक है। स्थान की कमी होने पर, वर्णमाला का आकार कम किए बिना कम से कम 2 गंतव्य विवरण दिए जा सकते हैं।

It is required to provide 3 no. destination details on Gantry Mounted signs. In case of space constraints, minimum 2 no. destination can also be placed without reducing the Alphabet size.

8. एक्सप्रेसवे और राजमार्गों पर आईआरसी 67 (2022), आईआरसी 99 (2023), यातायात संकेत स्थापना के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई, 2023 को जारी दिशानिर्देशों और 24 दिसंबर, 2024 के संशोधन के अनुरूप गलियारा आधारित पहुंच सड़क संकेत चिह्न प्रदान करने का प्रस्ताव है:

It is proposed to provide on a corridor based approach road signs on Expressways and Highways corresponding to IRC 67 (2022), IRC 99 (2023), MoRTH guidelines issued for Traffic Signs Installation on July 20, 2023 and Amendment issued on Dec 24, 2024 as follows:

i. जिन परियोजनाओं के लिए अभी बोलियां आमंत्रित की जानी हैं, उनके लिए बोली दस्तावेजों में उचित प्रावधान किए जाएं।

Projects where bids still to be invited, make appropriate provisions in the bid documents.

ii. निर्माणाधीन परियोजनाओं में आवश्यकतानुसार भाराप्रा को अतिरिक्त लागत के साथ संशोधित आईआरसी कोड के अनुरूप संकेत चिह्न लगाए जाएं।

Projects under construction stage, provide road signs confirming to revise IRC codes with additional cost to NHAI wherever required.

iii. संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) चरण में चल रही परियोजनाओं में, आवश्यकतानुसार भाराप्रा को अतिरिक्त लागत के साथ संशोधित आईआरसी कोड के अनुरूप संकेत चिह्नों को परिवर्तित किया जाए। 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर लगे द्विभाषी संकेत चिह्नों के साथ ही त्रिभाषी संकेत चिह्न भी लगाए जाएंगे।

Projects under operation & maintenance (O &M) stage, upgrade road signs confirming to revise IRC codes with additional cost to NHAI wherever required. The trilingual signs shall be installed in addition to the bilingual signs already installed on Highways/Expressways in B & C Regions.

9. परियोजना खंडों पर साइन बोर्ड विनिर्देश और स्थापना भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 12.38/2025 दिनांक 19 मार्च, 2025 के अनुरूप होंगे।

The Sign Board Specifications and installation on the Project stretches shall be confirming to NHAI Policy Circular No. 12.38/2025 dated 19th March, 2025.

10. दुर्घटना संभावित क्षेत्र के संकेत भी ऊपर बताए गए क्षेत्रों के अनुसार द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में लगाए जाएंगे।

Crash Prone Area signs shall also be installed in bilingual/trilingual form as per Regions stated above.

11. टोल प्लाजा (टोल कैनोपी, प्रशासनिक और चिकित्सा भवन, शौचालय आदि) पर सभी संकेत चिह्नों को उपर्युक्त पैरा 2 और 3 के अनुसार तैयार किया जाएगा।

All Signages at Toll Plazas (at Toll Canopy, Administrative & Medical Blocks, Toilets) shall be in order of Para 2 & 3 above.

12. किलोमीटर पत्थरों के लिए आईआरसी-8 के अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

Instructions of IRC-8 shall be followed for Kilometre Stones.

13. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issue with the approval of Competent Authority.

संलग्नक/Encl.: अनुलग्नक-1/Annexure I

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)

प्रभारी मुख्य-महाप्रबंधक (समन्वय)/ I/c Chief General Manager (Coord.)

सेवा में/To:

भाराराप्रा मुख्यालय/ आरओ/पीआईयू/ सीएमयू/ साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी/
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/Copy to:

1. अपर सचिव (राजमार्ग), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/
Additional Secretary (Highways), MoRTH- सूचनार्थ/For Kind Information.
2. परिपत्र को पुस्तकालय की वेबसाइट पर डालने हेतु पुस्तकालय को/
Library for hosting the circular on library site.
3. परिचालन हेतु वेब एडमिन को/
Web Admin for circulation.